सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 22/2020

उनवान

1. स्वाती असवाल पुत्री श्री ब्रजेश असवाल जाति ,सटीक निवासी मौहल्ला खटीकान ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. जगमाल पुत्र श्री गंगाराम असवाल जाति खटीक निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा
2. जगदीश पुत्र नारायण
3. ज्याना पत्नि नारायण
4. तुलसीराम पुत्र नारायण
5. रामप्यारी पुत्री नारायण
6. शारदा पुत्री नारायण
7. हरिनारायण पुत्र नारायण
8. बनवारी पुत्र नारायण
   समस्त जाति रैंगर निवासी ग्राम टोडी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री दीपक शर्मा वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री सुनील शुक्ला वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक 31-3-21

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1375 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 1376 रकबा 0.0500 है0, ख0नं0 1377 रकबा 0.0300 है0, ख0नं0 1378 रकबा 0.0400 है0 व ख0नं0 1379 रकबा 0.0300 है0 कुल किता 5 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा में वादिया का 1/2 भाग जो कि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.2.20 को खरीद कर मौके पर मनबट हिस्सा प्राप्त किया था को बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जावे । वादिया की ओर से वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई प्रतिवादी सं0 1 की ओर से उनके अधवक्ता श्री दीपक शर्मा ने दिनांक 18.3.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में वादपत्र पेश किया है उसके लिए पत्रावली पर हाल जमाबन्दी सं0 2074–77 के खाता सं0 378 का राजस्व रिकार्ड पेश किया है उसमें वादिया/अप्रार्थीया न तो सहखातेदार काश्तकार है तथा न ही सह आसामी है, कानूनन धारा 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भूमि क्षेत्र का विभाजन सह आसामियों के बीच ही हो सकता है। इसलिए अप्रार्थीया/वादिया का उक्त वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। कानूनन धारा 188 के तहत भी खातेदार ही दावा ला सकता है । वादिया/अप्रार्थीया के द्वारा वाद पत्र के साथ एक विक्रय पत्र दिनांक 5.2.20 प्रस्तुत किया है, उक्त विक्रय पत्र को मामराज पुत्र बालमुकन्द जाति स्वामी निवासी 1146 स्वामी मौहल्ला मनोहरपुर ने निष्पादित किया है जबकि उक्त मामराज उक्त विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार नहीं रहा है तथा न ही मामराज को पक्षकार बनाया गया है । वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने जाहिर किया कि विक्रय पत्र दिनांक 5.2.20 के बाबत एक नोट उप पंजीयक मनोहरपुर द्वारा राज0 पंजीयन अधिनियम 1955 पार्ट I के नियम 39 के तहत लगाया गया है जिससे साफ स्पष्ट है कि उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 27.7.1992 विवाद की श्रेणी में आता है नियमानुसार वसीयत की वैद्यता के आधार पर उक्त मामराज पुत्र स्व0 बालमुकन्द के पक्ष में राज0 भु0 राजस्व अधिनियम 1956 की धरा 135 के तहत नामान्तकरण की कार्यवाही होना आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हुए बिना किया गया विक्रय पत्र शुरू से ही शुन्य व अवैद्य है। इस प्रकार वादिया का वादपत्र विधि से वर्जित होने से तथा वादिया को वाद हेतुक पैदा नहीं होने से तथा आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादिया का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

अप्रार्थी/वादिया ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद किये जाने के पश्चात नामान्तकरण नही होने का अर्थ यह नहीं है कि वादिया खातेदार काश्तकार नहीं है क्योंकि धारा 53 व धारा 188 जो कानून है वह राज्य कानून है जो संविधान के अन्तर्गत है जबकि सच्चाई यह भी है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 141 यह प्रावधान करता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई विनिश्चय पारित कर दिया हो तो वह न केवल देश का कानून है बल्कि सभी सबॉडिनेट कोर्टस पर बाध्यकारी है चूंकि सुप्रीम कोर्ट का विनिश्चय यह है कि नामान्तकरण केवल 1 फिस्कल एंटी है स्वामित्व का सबूत नहीं है, स्वामित्व तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ही मिलता है इसके लिए धारा 54 ट्रांस्फर ऑफ प्रोपर्ट्री एक्ट भी पढना जरूरी है इसलिए वादिया को यह वादपत्र प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है। बालमुकन्द की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र मामराज ही है जिसके हक में स्व0 बालमुकन्द द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत है और जिसको उक्त सम्पत्ति अन्तरित करने का पूरा कानून हक था जो उसने वादिया के पक्ष में किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अपना हक हकूक खो देने के बाद उसे वादपत्र में पक्षकार बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अप्रार्थीया/वादिया ने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया कि राजस्व पंजीयन अधिनियम 1955 के नियम 39 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 135 का हवाला देकर नामान्तकरण की कार्यवाही का होना आवश्यक बताया है उक्त कथन न केवल गैर कानूनी है बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित होने के बाद नामान्तकरण खोलना राजस्व कर्मचारियों का दायित्व होता न कि वादिया का जबकि वादिया ने तो नामान्तकरण अपने हक में खुलवाने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 12..2.20 को तहसीलदार मनोहरपुर के समक्ष पेश कर दिया था इसके बाद यदि शासन अपना दायित्व पूरा नहीं करता है तो उससे वादिया के अधिकार समाप्त नहीं होते है। अन्त में अप्रार्थीया/वादिया ने प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्रो में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का दावा खारिज किये जाने की गुजारिश की। इसका खण्डन करते हुए योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीया/वादिया ने अपने जवाब प्रार्थना पत्रों में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की । हमने उभय पक्षें की बहस पर गोर किया तथा प्रकरण के तथ्यों व कानूनी प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन कर मनन किया ।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।
(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।
(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ड). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।
(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु (घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से है।

वादिया की ओर से मूल रूप सें यह वाद पत्र अपनी खरीद शुदा भूमि में अपने हिस्सेनुसार खातेदारी की भूमि प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया है तथा अपने वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है उसके द्वारा यह भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 5.2.20 के द्वारा विक्रेता मामराज से प्राप्त की है । विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि विवादित आराजी में वादिया न तो खातेदार के रूप मे दर्ज है तथा न ही जिससे भूमि क्रय की है उस आसामी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना साबित होता है ।

न्यायालय सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में यह स्पष्ट है कि कोई सहखातेदारी या आसामी ही अपनी भूमि का विभाजन हेतु दावा पेश कर सकता है।धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आसामी ही स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर सकता है। विचाराधीन प्रकरण में वादिया/अप्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। तथा वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से पेश की गई दलीलों 1. 2007 (3) सिविल कोर्ट केस 661 (एससी) 2. 2008 (3) सिविल कोर्ट केस 186 (पी एण्ड एच) 3 (1996) 6 सुप्रीम कोर्ट केस 433 के अवलोकन सें भी यही जाहिर होता हैं कि उक्त नजीरे वादपत्र में चस्पा नहीं होती है चूंकि प्रकरण विभाजन से संबंधित है तथा प्रस्तुत नजीरें नामान्तकरण से संबंधित है। आसामी/सहखातेदार ही अपनी भूमि का विभाजन का दावा ला सकता है। यह अलग बिन्दु है कि वादिया के द्वारा जरिये विक्रय पत्र से भूमि खरीद की है लेकिन उसका नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं आता तब तक उसको सहखातेदार/आसामी नहीं माना जा सकता है। अप्रार्थी/वादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त हस्तगत वाद चलने योग्य नहीं है अपितु विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादिया का हस्तगत वादपत्र पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31/3/2021 को सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

31/3/21

(मनमोहन)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रपत्र - 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 22/2020

उनवान

1. स्वाती असवाल पुत्री श्री ब्रजेश असवाल जाति ,सटीक निवासी मौहल्ला खटीकान ग्राम मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. जगमाल पुत्र श्री गंगाराम असवाल जाति खटीक निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा
2. जगदीश पुत्र नारायण
3. ज्याना पत्नि नारायण
4. तुलसीराम पुत्र नारायण
5. रामप्यारी पुत्री नारायण
6. शारदा पुत्री नारायण
7. हरिनारायण पुत्र नारायण
8. बनवारी पुत्र नारायण
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम टोडी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश दिनांक 31-3-21

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादिया का हस्तगत वादपत्र पोषनीय नही होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

अन्तिम डिक्री आज तारीख 31-3-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

31/3/21

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
(फा.ड़े.) शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जि पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रपत्रों के लिए स्टाम्प 4. ____ रुपये पर फीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		अर्जि पत्र के लिए स्टाम्प अपील के लिए स्टाम्प फीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner